-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मोटरसाइकिल छीनकर भागने वाले अभियुक्त को थाना कमासिन पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद।**
- **अभियुक्त पूर्व से एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिस पर गैंगस्टर,हत्या का प्रयास,धोखाधडी,आर्म्स एक्ट, लूट,चोरी व गोवध निवारण अधिनियम समेत एक दर्जन से अधिक मामले है दर्ज।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कमासिन पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए एक शातिर एवं हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट, हत्या के प्रयास,धोखाधडी समेत एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गौरतलब हो कि दिनांक 28/29.08.2026 की शाम थाना बबेरू क्षेत्र निवासी समर द्वारा थाना कमासिन पुलिस को सूचना दी गई कि कमासिन स्थित बिजली पावर हाउस के पास एक अज्ञात व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना कमासिन पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को बबेरू की ओर से कमासिन की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया तो व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसके पास मौजूद मोटरसाइकिल कमासिन थाना क्षेत्र से छीनी गई थी। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बता दें कि अभियुक्त कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि शातिर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट, हत्या के प्रयास सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

बरामदगी-

- एक मोटरसाइकिल (छिनैती की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू उर्फ अंसार पुत्र मुस्तफा उर्फ नौशाद निवासी ग्राम सिमोनी हाल पता ग्राम हरदौली थाना बबेरू जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 237/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री पारसनाथ थाना कमासिन जनपद बांदा
2. कां0 योगेश गुप्ता
3. कां0 सौरभ शुक्ला

अपराधिक इतिहास कल्लू उर्फ अंसार-

1. मु0अ0सं0 213/17 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 238/17 धारा 406/504/506 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 95/18 धारा 379/411/419/420 भा0द0वि0 थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 91/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 79/18 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 93/18 धारा 411 भा0द0वि0 थाना तिंदवारी जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 224/21धारा 307/120B भा0द0वि0 व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बबेरू जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 295/21 धारा 323/504/506/386 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 296/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।
10. मु0अ0सं0 299/21 धारा 41/411/413/414/472 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बांदा।
11. मु0अ0सं0 27/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।
12. मु0अ0सं0 217/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।
13. मु0अ0सं0 133/21 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना तिंदवारी जनपद बांदा।